

जेल में निरुद्ध बन्दियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा प्राधिकरण -छाया शर्मा, अपर जिला जज/सचिव

द अचीवर टाइम्स चेतन कुमार

हापुड़। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मलताखान सिंह के मार्गदर्शन में जिला कारामार, डासना गाँजियाबाद में जिला निरीक्षण छाया शर्मा अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कारामार, डासना गाँजियाबाद में जेल अधीक्षक, डिटी जेलर संजय कुमार आदि साथ रहे। तो वही छाया शर्मा अपर जिला जज व सचिव द्वारा जिला कारामार, डासना गाँजियाबाद में पी-बैगेंस विवाह पर विधिक जागरूकता शिक्षिक का आयोजन किया गया। जिसमें द्वारा वर्ताया गया कि कोई भी बंदी पी-बैगेंसिंग के अधार पर अपना बाद समाप्त कर सकते हैं एवं बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान जिला न्यायालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है कि इनके पास जमानती उपलब्ध न होने के कारण वे कारामार में अभी तक निरुद्ध हैं विधिक सहायता हेतु अपना आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ में प्रस्तुत कराया गया। जिसमें द्वारा वर्ताया गया कि कोई भी बंदी पी-बैगेंसिंग के अधार पर अपना बाद समाप्त कर सकते हैं एवं बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराया गया। निरीक्षण के दौरान जिला न्यायालय द्वारा सचिव के हापुड़ के जिलाध्यक्ष मिशन त्यागी ने बायाया की 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण योग्यता विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की ओर से पूर्णता सफाई बर्ती जा रही थी।

साथ ऐसे बंदी जिसकी जमानत सक्ते हैं। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसी दौरान छाया शर्मा ने लीपल एड क्लीनिक, कम्प्यूटर रूम, हॉस्पिटल व पाकशाला का निरीक्षण किया गया एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा बंदियों हेतु बनाये गये भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी, तो गुणवत्ता सामान्य पाई गयी। भोजन तैयार करने में पूर्णता सफाई कर्ता जा रही थी।

सम्पादकीय

कर्ज के चंगुल में फंसी दुनिया के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने उठाए महत्वपूर्ण कदम



आईएमएफ का यह कहना कि पिछले वर्ष कुल वैश्विक कर्ज वैश्विक जीडीपी का 238 फीसदी था, बताता है कि पूरी दुनिया कर्ज के जाल में किस कदर उलझी है। ऐसे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में असुरक्षित धरेलू कर्ज को, जो वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा भी सकते हैं, रोकने के लिए उत्ताप गए कदम महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमने देखा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों उपायों से मदी से ऊबर रही थी। दरअसल, वित्त वर्ष 2022 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विभिन्न देशों में व्याज दरें बढ़ाई गईं, सार्वजनिक ऋण में भारी कमी आई और सरकारी वित्त में सुधार भी हुआ था। इस आर्थिक सुधार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में कुछ हद तक स्थिरता भी संभव लग रही थी। लेकिन आर्थिक सुधारों के लिए विभिन्न देशों में अपनाई गई नीतियों में काफी फर्क भी दिखा। भारत जैसी उभरते बाजारों वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आधार वाले आर्थिक सुधार दिखे। लेकिन कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों ने व्यापक आर्थिक स्थिरता का अनभव

सोशल मीडिया में जजों की ट्रोलिंग और कुछ नैतिक सवाल

बात अब मीडिया ट्रायल और अदालती फैसलों की आलोचना से कहीं आगे फैसले देने वाले जजों की ट्रेलिंग तक आन पहुंची है। यही कारण है कि हाल में भोपाल में आयोजित दसवें मप्र न्यायाधीश सम्मेलन में जिला न्यायालयों के जजों ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया और बरिष्ठ जजों से मार्गदर्शन मांगा कि न्यायाधीशों की ट्रेलिंग पर उन्हें क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों की ट्रेलिंग भी अदालती अवमानना हो सकती है या नहीं? सोशल मीडिया में किसी खास वैचारिक एजेंडे अथवा पूर्वाग्रह दुराग्रह के चलते गढ़े जाने वाले नरेटिव, न्यूसेंस और जजों की व्याकरण आलोचना को किस रूप में लिया जाना चाहिए? क्योंकि भारत में सोशल मीडिया की नकेल कसने के लिए बहुत कड़े कानून नहीं है। ऐसे कानून बन भी जाएं तो फिर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का क्या होगा? वैसे भी कई लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया दरअसल जनता की आवाज है। लाख आलोचना के बावजूद इसे दबाया नहीं जा सकता। सम्मेलन में शामिल देश के सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर न्यायाधीशों की राय यही थी कि जजों की सोशल मीडिया पर ट्रेलिंग के मामलों को फिलहाल इन्गोर (अनदेखा) करना ही बेहतर है। भाव यही कि ऐसे तत्वों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि यह उत्तर भी कई सवालों से भरा है। यूं न्यायपालिका के सामने नई चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(एआई) की भी है, लेकिन उसका मामला थोड़ा अलग है। न्यायाधीशों पर सोशल मीडिया के हमलों का मामला ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अदालती फैसले समाज में न्याय की रक्षा का काम करते हैं। इसी से समाज को संचालित करने का दिशानिर्देश और सुसूत्रता भी मिलती है। अदालती फैसले हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतीत हों, ऐसा जस्ती नहीं है, लेकिन उन फैसलों की आलोचना तार्किक और कानूनी आधार पर ही की जा सकती है। लेकिन जब ऐसे फैसलों के पीछे न्यायाधीश के विवेक, न्यायिकता अथवा पूर्वाग्रह को लेकर सवाल उठाए जाने लगें, उनकी भद्दे ढंग से ट्रेलिंग की जाए तो तब न्यायाधीशों का विचलित होना स्वाभाविक है। सम्मेलन में शामिल कई जजों ने कहा कि वर्तमान में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे कि वाटसएप ग्रुप और फेसबुक पर हमारे विशद्ध अमर्यादित बातें होती हैं। जिन्हें फैसला पसंद नहीं आता, वे भ्रम फैलाते हैं। भद्दे कमेंट करते हैं। क्या ऐसा करने वालों पर हम (न्यायाधीश) कटेप्ट ऑफ कोर्ट (अदालत की अवमानना) की कार्रवाई कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि न्यायाधीश सोशल मीडिया की ट्रेलिंग से न तो डेर और न ही किसी एजेंडे के तहत गढ़े जाने वाले नरेटिव से प्रभावित हों। इसे सिर्फ इनोर करें, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी (जबाबदेही) नहीं है। जस्टिस ओक ने बताया कि मुंबई में तो जजों को प्रभावित और परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि कई जजों के खिलाफ ही पिटीशन दायर हो जाती है। इस सम्मेलन में यह बात साफ झलकी कि आज न्यायाधीश समुदाय अगर किसी बात से सवाधिक चिंतित है तो वो है, सोशल मीडिया। ऐसा मीडिया जिसके हजारों मुंह, आंखें और कान हैं लेकिन कहीं कोई रिपोर्ट कंट्रोल नहीं है। और

The image is a composite of three distinct elements. On the left, a black wooden gavel with a gold band is positioned on top of a dark wooden block. In the center, a portion of a blue book or document is visible, with the letters 'SOP' and 'N...' printed in white. To the right, there is a graphic element consisting of three orange-yellow arrows pointing upwards and to the right, forming a triangular shape.

मीडिया से सामना एक नए किस्म का और एकतरफा टकराव है। इसमें एक हद तक सच्चाई हो सकती है। अब तक मीडिया और खासकर प्रिंट मीडिया अपने संवेदनिक और पेशेवर दायित्वों के महेनजर न्यायिक फैसलों की मर्यादित और तार्किक आलोचना करने तक सीमित रहा है। अमूमन चौथा स्तम्भ माने जानी वाली खबर पालिका (मीडिया) का लोकतंत्र के तीसरे स्तम्भ न्यायपालिका के प्रति सम्मान का भाव ही रहा है। हालांकि इस सदी के शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसार ने न्यायिक फैसलों के पहले ही आरोपियों के मीडिया द्वायल की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इससे भी आगे जाकर अब सोशल मीडिया उससे भी आगे जाकर सीधे न्यायाधीशों पर ही हमले करने लगा है, जोकि बेहद गंभीर और घातक है। इससे न्याय व्यवस्था पर से ही लोगों का विश्वास उठने का खतरा है। क्योंकि अगर न्यायाधीश की नीयत, नरेटिव और वैचारिक रूझान के आधार पर फैसलों की आलोचना की जाएगी तो कोई भी न्यायाधीश अपने विवेक से निष्पक्ष फैसले कैसे दे पाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायाधीश भी अंततः मनुष्य ही हैं। व्यक्तिगत राग द्वेष वहां भी काम कर सकते हैं। मानवीय गलतियां उससे भी हो सकती हैं। लेकिन कोई के फैसले भी अनर्तिम हैं और उनकी समीक्षा और पुनर्विचार का प्रावधान हमारी न्यायिक व्यवस्था में है। उन रास्तों को अपनाने के बजाय किसी जज को उसकी विचारधारा, धर्म, व्यक्तिगत आग्रह के आधार पर आलोचना और निंदा का निशाना बनाना परोक्ष रूप से समूची न्यायिक और प्रकारांतर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उंगली उठाना भी है।

उनके राम, अपने राम, सबके राम, हमारे ‘राम’

कर्ज का। अंतराशीय मुद्रा कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष कूल वैश्विक कर्ज कूल वैश्विक सकल घेरेलू उत्पाद (वैश्विक जीडीपी) का 238 फीसदी था, जो 2019 की तुलना में नौ फीसदी ज्यादा था। अगर इन्हीं आंकड़ों को डॉलर में देखें, तो यह कर्ज 2,350 खरब डॉलर था, जो 2021 की तुलना में करीब दो सौ अरब डॉलर ज्यादा था। इसमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय घेरेलू और निजी क्षेत्र का बढ़ता कर्ज है। हालांकि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद से घेरेलू कर्ज पर पूरी तरह से निगरानी रखी गई है, लेकिन फिर भी पिछले पंद्रह वर्षों में यह काफी तेजी से बढ़ा है। कोविड महामारी ने तो इसे और भी तेजी से बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि घेरेलू कर्जों का उच्च स्तर वित्तीय अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। हालांकि वैश्विक नीतिगत चर्चाओं में कोविड महामारी के बाद वित्तीय स्थिरता को वापस लाने पर फोकस किया गया है, लेकिन जब बात घेरेलू और निजी क्षेत्र के कर्ज की हो, तो ज्यादा सोच-विचार जरूरी हो जाता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घेरेलू कर्ज की प्रकृति, विशेषताएं और प्रभाव विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं। उल्लेखनीय है कि अगर असुरक्षित घेरेलू कर्ज ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ, सुरक्षित घेरेलू कर्ज, मसलन रियल एस्टेट के लिए लिया गया कर्ज, वास्तविक मांग बढ़ा सकते हैं और घेरेलू संपत्ति पैदा करते हैं। कर्ज निर्माण की इस प्रक्रिया की विस्तृत समझ रखना जरूरी है। इस समस्या की भयावहता को समझने के लिए आइए, भारत सहित कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में घेरेलू कर्ज की स्थिति को दो काल-खण्डों 2008 और 2022 में समझते हैं। 2008 वह वर्ष था, जब पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, जबकि 2022 कोविड महामारी के ठीक बाद का वर्ष था। दोनों वे वर्ष थे, जब देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखा। दोनों काल-खण्डों के बीच कनाडा, फांस, इटली और जापान में घेरेलू कर्ज तेजी से बढ़ा। अंतराशीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार, कनाडा, फांस, इटली और जापान में यह 2008 के क्रमशः 83.47, 48.60, 38.98 और 60.27 फीसदी से बढ़कर क्रमशः 102.38, 66.14, 41.72 और 68.15 फीसदी हो गया। जबकि भारत में सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में घेरेलू कर्ज सर्वाधिक न्यूनतम में से रहा, जो वित्त वर्ष 2022 के जीडीपी का करीब 35 फीसदी था और 2008 से 2022 के दौरान इसमें तेज गिरावट देखने को मिला। भारत में घेरेलू कर्ज 2008 में जीडीपी का 40.85 फीसदी था, जो 2022 में 35.56 फीसदी रह गया। अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस कालखण्ड में घेरेलू कर्ज में कमी आई। भारत में घेरेलू क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले असुरक्षित कर्ज के जोखिमों को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में उत्तेज गए कदम उल्लेखनीय हैं। असुरक्षित कर्ज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय बैंक ने नवबार, 2023 में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) दोनों के लिए क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित उपभोक्ता कर्ज पर जोखिम का भार 25 फीसदी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम का उद्देश्य महज इतना है कि देश के वित्तीय क्षेत्र को घेरेलू क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचाया जाए। हालांकि भारत का घेरेलू कर्ज ज्यादा नहीं है, फिर भी केंद्रीय बैंक द्वारा दिखाई जा रही सतर्कता का महत्व है। इससे जोखिमों को कम करने और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। सारांश के तौर पर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में बढ़ते घेरेलू कर्ज से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आएगी, जिसका नकारात्मक असर भारत समेत सभी उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। पिछले वर्ष इसी समय के आसापास अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक में जो संकट दिखा था, हालांकि जिस पर काबू पा लिया गया था, इसी समस्या का एक उदाहरण है। पूरी दुनिया को ऐसी नीतियों की जरूरत है, जिसका फोकस इस बढ़ते कर्ज पर काबू पाने पर हो। अर्थस्त्रीय सिद्धांत बताते हैं कि घेरेलू कर्ज के बढ़ने से अल्प अवधि में खपत और विकास को बढ़ावा मिलता दिख सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका विकास पर उल्टा ही असर होता है। यह दिखाने का दरअसल कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि घेरेलू कर्ज में वृद्धि वित्तीय सेवाओं या विभिन्न क्षेत्रों के बीच वित्तीय असंतुलन के बढ़ने से होती है। हालांकि यह मान लेना गलत नहीं होगा कि महामारी के बक्त अर्थिक विरोधाभास और चारों तरफ व्यापक अनिश्चितता ही घेरेलू कर्ज में वृद्धि के प्रमुख कारण थे।



स्थानों से संबद्ध लोग भाग लेंगे। 30 दिसंबर को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को दीये जलाने का आह्वान किया, जिससे इसे देशवाणी दिवाली उत्सव में बदल दिया गया। उन्होंने 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिक सद्ग्राव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विचारशील पहल, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातीयताओं के लोगों को एक साथ लाने की भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे ही भगवान राम का %प्राण प्रतिष्ठा% समारोह शुरू होता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है, राष्ट्र सामूहिक रूप से एकता, भाईचारे और सद्ग्राव की भावना का जश्न मनाता है। सभी धर्मों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने में, हम भारत के सच्चे लोकाचार को अपनाते हैं, जो उन मूल्यों का प्रतीक है जो हम सभी को एकजुट करते हैं। अब, जबकि अधिकांश आम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया है, तब कृछ समूहों, विशेष रूप से जमातियों की ओर से चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, जो झूठी कहानी और अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। इन समूहों का दावा है कि फैसला मुसलमानों के पक्ष में नहीं था और संभावित दंगों की आशंका जारी रही है। यह आख्यान एक रणनीतिक राजनीतिक कदम प्रतीत होता है, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पीड़ित कार्ड खेल रहा है। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार ने देश भर में शांति बनाए रखने और हर धर्म के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने को लगातार प्राथमिकता दी है। सांप्रदायिक सद्ग्राव को बढ़ावा देने में सरकार का टैक रिकॉर्ड विविध समुदायों के बीच समझ को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जनता के लिए धार्मिक संबद्धताओं के बावजूद शांति और सद्ग्राव बनाए रखने के लिए समर्पित सरकार के निराधार दावों और वास्तविक प्रयासों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। खुली बातचीत और समझ को प्रोत्साहित करने से निराधार भय को दूर करने और एकजुट और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर अभियंक समारोह से पहले शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर अपने कैबिनेट सहयोगियों को संयम बरतने और आक्रामकता से बचने का निर्देश दिया है। ये सख्त निर्देश सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने तनाव भड़कानेवाले अनुचित बयान देने से बचने के महत्व पर जोर दिया। यह निर्देश शांति और सद्ग्राव बनाए रखने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो ऐतिहासिक घटना विभाजन के स्रोत के बजाय एकता का प्रतीक बन जाए। सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, कई उर्दू कवियों ने विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, एकता और सद्ग्राव का संदेश दिया है। अल्लमा इकबाल और फैज अहमद फैज जैसे कवियों ने अक्सर सह-अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान के महत्व पर जोर दिया। उनकी कविता धार्मिकता से परे एकता के विषयों को पेश करती है। सीमाएं, विविधता को अपनाने के विचार को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि सटीक बाक्यांश को सीधे तौर पर किसी एक कवि के लिए जिम्मेदार नहीं रहता जो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करने की व्यापक भावना कई उर्दू साहित्यकारों की भावना में समाहित है, जो सांप्रदायिक सद्ग्राव और समझ की पैरोकारी करती है। अल्लमा इकबाल, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और दार्शनिक, ने अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्तियों में धार्मिक सीमाओं को पार किया और इस्लामी परंपरा से परे की शब्दियतों की बावधान से प्रशंसा की। एक उल्लेखनीय उदाहरण में, इकबाल ने भगवान् राम का सम्मान करते हुए उन्हें =इमाम-ए-हिंद= या भारत के आध्यात्मिक नेता के रूप में संदर्भित किया। यह उपाधि इकबाल की भारत की विविध विरासत में निहित सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की पहचान को दर्शाती है। ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से, इकबाल ने एकता और साज्ञा आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देने की कोशिश की, सामूहिक पहचान की भावना को प्रोत्साहित किया जो व्यक्तिगत धार्मिक संबद्धताओं से परे है।

